Website: www.rssrashtriya.org E-mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय: 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
संरक्षक: श्री उमराव लाल वर्मा, श्री प्रहलाद शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

रमेश चन्द्र पुष्करणा	सम्पत सिंह	महेन्द्र कुमार लखारा
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
9460057712	9413344625	9460209114

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– **शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने के कारण ज्ञापन।**
द्वारा :– **उपखण्ड अधिकारी .... ।**

महोदय

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा शिक्षा व शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर सरकार का समय समय पर ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन खेद का विषय है कि सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षकों के न्याय एवं विधि सम्मत विषयों पर सरकार द्वारा समयबद्व कार्य पूर्ण नहीं होने से शिक्षक आक्रोशित एवं उद्वेलित है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) सम्पूर्ण प्रदेश के लक्षाधिक शिक्षकों की व्यथा को प्रकट करते हुए आज **दिनांक 07 अगस्त 2025** को संगठन की उपशाखा ....जिला .... के प्रतिनिधि शिक्षक, उपखण्ड कार्यालय .... पर उपस्थित होकर ज्ञापन के माध्यम से आपसे पुरजोर अनुरोध करते है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप कर शिक्षा व शिक्षकों की अग्राकिंत समस्याओं पर ठोस कार्यवाही के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करे।

इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में संगठन को आन्दोलन के अग्रिम कदम उठाने पर विवश होना पडेगा।

1. शिक्षा विभाग में समस्त संवर्गो के स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटाकर स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।
2. शिक्षकों के सभी स्तर की पदौन्नतियॉ लम्बित है, समयबद्व कार्यक्रम तय कर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण हो, न्यायालय में लम्बित तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों की पदौन्नति पर विधि एवं शिक्षा विभाग को त्वरित निस्तारण करवाने के निर्देश प्रदान करावे।
3. राज्य के सभी विद्यालयों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जावे।
4. शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त किया जावे एवं ऐसे कार्य जो शिक्षण व्यवस्था से सम्बधिंत नहीं है में न्यूनता रहने पर शिक्षकों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावे।
5. छठें एवं सातवें वेतन आयोग की मंशानुरूप वेतनमान देकर तृतीय श्रेणी एवं प्रबोधकों की वेतन विंसगति को दूर किया जावे।

भवदीय

अध्यक्ष	मंत्री
उपशाखा	उपशाखा ....
जिला	जिला ....

प्रतिलिपिः– 1. श्रीमान् शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।